भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4655

उत्तर देने की तारीख : 21.08.2025

पीएसबी के माध्यम से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का कार्यान्वयन

4655. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा :

श्री शेर सिंह घुबाया :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के माध्यम से शुरू किया गया है और यदि हां, तो पंजाब राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत आवेदन और पंजीकरण प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है जिससे कमजोर कारीगर लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : पीएम विश्वकर्मा के तहत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं ऋण देने के पात्र हैं। दिनांक 13.08.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 4.71 लाख लाभार्थियों के लिए 4,059.11 करोड़ रुपए की राशि के उद्यम विकास ऋण स्वीकृत किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत पंजाब राज्य में ऋण स्वीकृति प्रदान किए गए लाभार्थियों का सार्वजनिक क्षेत्र बैंक-वार ब्यौरा **अनुबंध I** पर हैं।

(ख) एवं (ग) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत प्राप्त आवेदनों पर पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। स्कीम के सभी घटक और सत्यापन संबंधी प्रक्रिया पोर्टल आधारित/ऑनलाइन है। इस स्कीम के आरंभ से, दिनांक 13.08.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर 29.98 लाख लाभार्थी सफलतापूर्वक पंजीकृत हैं। आवेदनों को तीन-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें (i) ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तर पर सत्यापन, (ii) जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला कार्यान्वयन समिति (डीआईसी) द्वारा सत्यापन (पुनरीक्षण एवं संस्तुति), (iii) एमएसएमई विकास कार्यालय (एमएसएमई डीएफ़ओ) के एक अधिकारी की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग समिति जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की बैंकर्स समिति से एक सदस्य और एमएसडीई से एक सदस्य शामिल हो, के द्वारा अनुमोदन शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत कुल पंजीकृत लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा भाग अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे कमजोर वर्गों को मिलाकर बना है जिनकी भागीदारी क्रमश: 54%, 19% और 8% हैं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4655, जिसका उत्तर दिनांक 21.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नाम	पंजाब में पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत स्वीकृत ऋणों की संख्या	पंजाब में स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)
पंजाब नेशनल बैंक	471	447.88
भारतीय स्टेट बैंक	462	404.83
पंजाब एंड सिंध बैंक	93	89.00
इंडियन बैंक	83	78.20
केनरा बैंक	68	61.20
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	64	56.70
बैंक ऑफ बड़ौदा	60	50.05
यूको बैंक	57	54.55
बैंक ऑफ इंडिया	52	44.50
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	44	42.30
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	30	27.00
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	10	10.00
कुल	**1,494**	**1,366.21**